दूरभाष– 2286709
2286710

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

पत्रांक : 2317 /33/76/एक/2014–15 दिनांक : ~~सितम्बर 2014~~ 07/10/14

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
उत्तर प्रदेश।

विषय– **स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के उपघटकों में वित्तीय वर्ष 2013–14 तक कराये गये कार्यो के लम्बित भुगतान के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अभिकरण के पत्रांक 4244/341/एसजेएसआरवाई–एमआईएस/तीन/2001–III दिनांक 27.03.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से दिनांक 31.03.2014 तक एसजेएसआरवाई योजना के उपघटकों में कराये गये कार्यो में एनयूएलएम के अन्तर्गत आने वाले स्थानीय निकायों को छोड़कर अन्य निकायों की देनदारी 31.03.2014 तक प्रत्येक दशा में भुगतान तथा एनयूएलएम के अन्तर्गत अच्छादित शहरी निकायों में एसजेएसआरवाई के अन्तर्गत कराये गये कार्यो के सापेक्ष देयता का विवरण मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई थी। अभिकरण के उक्त पत्र के कम में जनपदों द्वारा स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के उपघटकों में कराये गये कार्यो के सापेक्ष अभिकरण मुख्यालय को अवशेष देयता सूचित की गई है। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के उपघटकों में कराये गये कार्यो के सापेक्ष सूचित अवशेष देयता का भुगतान निम्नानुसार करते हुये मुख्यालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।

1–**यूएसईपी**–यूएसईपी में जनपदीय कार्यालयों द्वारा बैंकों को प्रेषित किये गये ऋण आवेदन पत्र के सापेक्ष यदि बैंक द्वारा लाभार्थी का लोन नियमानुसार स्वीकृत कर लाभार्थी को ऋण की धनराशि दिनांक 31.03.2014 तक बैंक द्वारा अवमुक्त कर दी गई है तथा जिसकी अनुदान राशि डूडा द्वारा देय है तो ऐसे प्रकरणों में अनुदान राशि बैंको को अवमुक्त कर शीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध करायें।

2–**स्टैपअप प्रशिक्षण**–जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2013–14 में 31.03.2014 तक कराये गये कार्यो का सत्यापन, लाभार्थियों का प्लेसमेन्ट तथा कार्य गुणवत्तापूर्ण होने की दशा में एसजेएसआरवाई की गाइड लाइन्स तथा राज्य सरकार एवं सूडा द्वारा जारी दिशा–निर्देशानुसार कराये गये कार्यो की अवशेष देयता का वित्तीय नियमों के अन्तर्गत परीक्षणोपरान्त भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।

3–**यू0डी0डी0एन0**–जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2013–14 में 31.03.2014 तक कराये गये कार्यो का सत्यापन, तथा कार्य गुणवत्तापूर्ण होने की दशा में जारी दिशा–निर्देशानुसार कराये गये कार्यो एवं वित्तीय नियमों के अन्तर्गत सम्पादित कार्यो के परीक्षणोपरान्त अवशेष देयता का भुगतान करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।

4–**यू0डब्लू0एस0पी0 (ऋण/अनुदान)**—यू0डब्लू0एस0पी0 (ऋण/अनुदान) में जनपदीय कार्यालयों द्वारा बैंकों को प्रेषित किये गये ऋण आवेदन पत्र के सापेक्ष यदि बैंक द्वारा लाभार्थी का लोन नियमानुसार स्वीकृत कर लाभार्थी को ऋण की धनराशि दिनांक 31.03.2014 तक अवमुक्त कर दी गई है तथा

दूरभाष– 2286709
2286710
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

जिसकी अनुदान राशि डूडा द्वारा देय है तो ऐसे प्रकरणों में अनुदान राशि बैंको को (जनपद पर उपलब्ध धनराशि से) अवमुक्त करते हुये शीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध करायें।

5–**नगरीय मजदूरी योजना**–भारत सरकार द्वारा उक्त योजना दिनांक 31 मार्च 2013 से समाप्त कर दी गई थी जिसकी सूचना जनपदों को प्रेषित की गई है तथा समय–समय पर आयोजित मासिक समीक्षा बैठकों में भी अवगत कराया जाता रहा है परन्तु कतिपय जनपदों द्वारा नगरीय मजदूरी योजनान्तर्गत देयता की सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि नगरीय मजदूरी योजनान्तर्गत 31 मार्च 2013 के पूर्व आवंटित किये गये कार्यादेश/कराये गये कार्यो का विवरण/सत्यापन आख्या तथा ससमय भुगतान न होने के कारणों सहित आख्या अभिकरण मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें जिससे लम्बित देयता के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सके।

भवदीय,
01/10/2014
(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक